–::– छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन –::–

प्रधान कार्यालय एन–3, अवंति विहार रायपुर

क0 / छगवेका / मुख्या0 / तक0 / 15– 16 8164 दिनांक 26-06-15

प्रति,

शाखा प्रबंधक,(समस्त)
छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः–प्रीमानसून धूम्रीकरण हेतु 09 ग्राम सल्फॉस प्रति टन उपयोग करने बाबत्।
संदर्भः–मुख्यालयीन परिपत्र कमांक –5273, दिनांक 27.04.15।

विषयांतर्गत निगम की भण्डारगृह शाखाओं में जमाकर्ता छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि0 भारतीय खाद्य निगम के स्कंध भण्डारण किया गया है। जिसकी सुरक्षा हेतु वर्षा पूर्व धूम्रीकरण (प्रीमानसूंन फ्यूमीगेशन) किया जाना वैज्ञानिक भण्डारण के अंतर्गत पूर्व निर्धारित है। तत्संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से परिपत्र जारी कर विस्तृत जानकारी व निर्देश जारी किए थे।

जमाकर्ता छ0ग0राज्य भण्डारगृह निगम व भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा समय–समय पर अवगत करवाया जा रहा है कि राज्य की कई शाखाओं पर प्रीमानसून फ्यूमीगेशन निर्धारित प्रकियानुसार नहीं करवाई जा रही है। कई शाखाओं में निर्धारित 09 ग्राम सल्फॉस प्रति टन खाद्यान्न के स्थान पर 06 ग्राम सल्फॉस प्रति टन उपयोग किया जा रहा है। जिससे स्कंध का कीटमुक्त होना संभव नहीं है इससे दवाईयो का अनावश्यक अपव्यय हो रहा है।

उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र कमांक 01 के परिपत्र का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करें, समस्त खाद्यान्न में सल्फॉस 09 ग्राम प्रति टन मानक से ही धूम्रीकरण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी।

26/6/15
प्रबंधक तकनीकी

क0 / छगवेका / मुख्या0 / तक0 / 15– 16 8164 दिनांक 26-06-15

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ–

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर।
(02) सहायक महाप्रबंधक,(गु0नि0),भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय कांपा रायपुर।

26/6/15
प्रबंधक तकनीकी

1177